रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012023-241886
CG-DL-E-11012023-241886

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 11, 2023/पौष 21, 1944
No. 18] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 11, 2023/PAUSHA 21, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2023

सं. 03/2023-सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 19(अ.).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के साथ पठित धारा 156 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों को सीमाशुल्क (अभिज्ञात आयातित माल के मूल्य घोषणा में सहायता) नियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) ये नियम दिनांक 11 फ़रवरी, 2023 से लागू होंगे।

2. परिभाषायें- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है;

(ख) "अतिरिक्त महानिदेशक" में "प्रधान अतिरिक्त महानिदेशक" भी आयेंगे;

(ग) “मुख्य आयुक्त” में “प्रधान मुख्य आयुक्त” भी आयेंगे;

(घ) "आयातित माल की श्रेणी" का आशय आयातित माल से है जो किसी विषय उद्योग अथवा औद्योगिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित आयातित माल जिसमें समरूप माल अथवा उसी तरह का माल शामिल है, के समूह अथवा रेंज के भीतर है;

(ङ) “आयुक्त” के दायरे में “प्रधान आयुक्त भी आएंगे;

(च) “महानिदेशक के दायरे में “प्रधान महानिदेशक’ भी आयेंगे;

(छ) “मूल्यांकन समिति” से अभिप्राय नियम 4 के अंतर्गत गठित समिति से है;

(ज) “अभिज्ञात माल” से अभिप्राय उस आयातित माल या उसके ‘सब-सेट’ से है जिसे बोर्ड ने नियम 5 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया हो;

(झ) "आदेश" का अर्थ है नियम 5 के तहत जारी किया गया आदेश; तथा

(ञ) “जांच समिति” से अभिप्राय नियम 3 के अंतर्गत गठित की गयी समिति से है ।

(2) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियाँ जिनका यहाँ तो प्रयोग हुआ है लेकिन उनको इन नियमो में परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु उनको उक्त अधिनियम या सीमाशुल्क मूल्यांकन (आयातित माल का मूल्य निर्धारण) नियमावली, 2007 में परिभाषित किया गया है तो उनका वही अर्थ होगा जो उनके लिये उक्त अधिनियम या नियमावली में दिया गया हो।

3. जांच समिति का गठन - (1) निम्नलिखित सदस्यों की एक जांच समिति होगी:-

(क) मूल्यांकन महानिदेशक जो समिति के संयोजक भी होंगे;

(ख) राजस्व आसूचना महानिदेशक;

(ग) विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशक; तथा

(घ) विचाराधीन माल की श्रेणी से संबंधित, बोर्ड द्वारा गठित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, यदि कोई हो, के संयोजक।

(2) मूल्यांकन महानिदेशालय इस जांच समिति का सचिवालय होगा।

(3) यह जांच समिति नियमित रूप से, और जब और जहां जरूरी होगा इन नियमों के अंतर्गत अपने कार्यों को सक्षमता और समय से पूरा करने के लिये, अपनी बैठकें आयोजित करेगी।

4. मूल्यांकन समिति का गठन.- (1) निम्नलिखित सदस्यों की एक मूल्यांकन समिति होगी:-

(क) मूल्यांकन के अतिरिक्त महानिदेशक, जो समिति के संयोजक भी होंगे;

(ख) राजस्व आसूचना (मुख्यालय) के अतिरिक्त महानिदेशक;

(ग) विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन के अतिरिक्त महानिदेशक (राष्ट्रीय सीमाशुल्क लक्ष्यीकरण केंद्र - कार्गो); तथा

(घ) विचाराधीन वस्तुओं की श्रेणी से संबंधित, बोर्ड द्वारा गठित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, यदि कोई हो, के मूल्यांकन और संबंधित मुद्दों पर कार्यकारी समूह के सदस्य।

(2) मूल्यांकन महानिदेशालय इस मूल्यांकन समिति का सचिवालय होगा।

(3) यह मूल्यांकन समिति नियमित रूप से, और जब और जहां जरूरी होगा इन नियमों के अंतर्गत अपने कार्यों को सक्षमता और समय से पूरा करने के लिये, अपनी बैठकें आयोजित करेगी।

5. **अभिज्ञात किये गए सामानों के विनिर्देश की प्रक्रिया.-** धारा 14 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के खंड (iv) के प्रयोजनों के लिए, जहां आयातित सामानों की किसी भी श्रेणी या उसके उपश्रेणी के संबंध में, बोर्ड के पास ऐसे सामानों के घोषित मूल्य या किसी अन्य प्रासंगिक मानदंड के संबंध में यह मानने का कारण है कि ऐसा माल जिसके सही और सटीक मूल्य की घोषणा नहीं की जा सकती है बल्कि इससे कम की जा सकती है, वहाँ बोर्ड ऐसे माल को नियम 10 के अनुसार अभिज्ञात माल के रूप में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकता है।

6. **अभिज्ञात किये गए सामानों के मामले की जांच हेतु स्रोत.-** (1) नियम 5 के प्रयोजन के लिए, बोर्ड किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए गए लिखित संदर्भ पर निर्भर करेगा, जिसमे यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी वर्ग के आयातित सामान या उसके उप-सेट के मूल्य की सत्यता या सटीकता से घोषणा नहीं की जा सकती है:

बशर्ते कि ऐसा लिखित संदर्भ सीमाशुल्क के किसी अधिकारी यानी किसी आयुक्त या अपर महानिदेशक, या किसी अन्य सरकारी विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित लिखित संदर्भ के साथ संलग्न किया जाएगा -

(क) पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के साथ व्यक्ति का नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर, ईमेल और अन्य संपर्क विवरण का प्रकटीकरण:

बशर्ते कि जहां संदर्भ देने वाला व्यक्ति किसी सरकारी विभाग का प्रतिनिधित्व करता हो, वहां पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी;

(ख) आयातित माल का पूरा विवरण और 8-अंकीय एचएस कोड, जिसमें, जहां उपयुक्त हो, तकनीकी साहित्य, विनिर्देशों, संरचना, गुणवत्ता, ब्रांड और मॉडल जैसे पहलुओं के साथ –साथ मूल देश या प्रेषण के बंदरगाहों का विवरण;

(ग) तरीका या पद्धति जिससे आयातकों द्वारा ऐसे माल के मूल्य को उनके वास्तविक या सटीक मूल्य से कम घोषित किया जाता है;

(घ) संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य, डाटा और विश्लेषण सहित ऐसी जानकारी जिससे लिखित संदर्भ में किए गए दावे के समर्थन में अपना आधार प्रस्तुत करता हो

(ङ) अवमूल्यन की सीमा का अनुमानित परिमाणीकरण;

(च) विश्वसनीय जानकारी के अन्य स्रोत, यदि कोई हों, जिन पर संदर्भ की जांच करते समय विचार किया जा सकता है; तथा

(छ) अतिरिक्त दायित्वों और जांच संबंधी सुझाव, यदि कोई हों, जिन पर संदर्भ की जांच करते समय विचार किया जा सकता है।

(3) इस नियम के तहत प्राप्त लिखित संदर्भ को जांच के लिए बोर्ड द्वारा जांच समिति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अग्रेषित किया जाएगा।

7. जांच समिति द्वारा प्रारंभिक जांच.- (1) जांच समिति बोर्ड द्वारा नियम 6 के उप-नियम (3) के तहत अग्रेषित संदर्भ की प्रारंभिक जांच करेगी ताकि यह तय किया जा सके कि क्या इसकी या इसके किसी भाग की विस्तृत जांच किए जाने की जरूरत है या नहीं।

(2) प्रारंभिक जांच के उद्देश्य से, लिखित संदर्भ की विषय-वस्तु और संलग्न जानकारी की जांच की जायेगी और ऐसा करने में भौतिक पहलुओं को घोषित मूल्यों या किसी अन्य प्रासंगिक मानदंड की प्रासंगिक प्रवृत्ति के साथ ध्यान में रखा जाएगा।

(3) प्रारंभिक जांच और प्रारंभिक निष्कर्षों की रिकॉर्डिंग और उस पर जांच समिति के प्रत्येक सदस्य के हस्ताक्षर का काम बोर्ड के द्वारा ऐसे संदर्भ को भेजे जाने की तारीख से अधिमानतः 15 दिनों के भीतर और नहीं तो अधिकतम 21 दिन के भीतर पूरा करा लिया जाना होगा।

(4) यदि प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर, यदि ऐसे संदर्भ को विस्तृत जांच के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो ऐसे संदर्भ, या उसके भाग, जैसा भी मामला हो, को उस तारीख को विस्तृत जांच के लिये गया माना जाएगा जिस तारीख को प्रारम्भिक निष्कर्षों को रेकार्ड किया गया था।

(5) यदि जांच समिति द्वारा रिकॉर्ड किए गए प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर ऐसे संदर्भ को विस्तृत जांच के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो जांच समिति संदर्भ को साथ-साथ बंद कर देगी।

8. मूल्यांकन समिति द्वारा विस्तृत जांच.- (1) नियम 7 के उप-नियम (4) के अंतर्गत विस्तृत जांच के लिये उपयुक्त पाये गए संदर्भ या उसके किसी भाग को, मूल्यांकन समिति इस बात का पता लगाने के लिये विस्तृत जांच-परख करेगी कि क्या संभावनाओं की पूर्व संकल्पना के आधार पर उक्त माल या उसके 'सबसेट' के मूल्य को सही और सटीक घोषित नहीं किया जा सकता है तथा इस उद्देश्य के लिए, मूल्यांकन समिति डेटा विश्लेषण कर सकती है और निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी पर भी विचार कर सकती है –

(क) माल की गुणवत्ता और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक स्रोतों से अंतरराष्ट्रीय कीमतों का रुझान;

(ख) हितधारकों से परामर्श या किए जानेवाले प्रकटीकरण के माध्यम से प्राप्त जानकारी;

(ग) विशेषज्ञों की रिपोर्ट या प्रमाण पत्र; अकादमिक पेपर्स; शोध पत्र; प्रकाशित रिपोर्ट; ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस; स्रोत देश या प्रेषण बंदरगाहों से तैयार होने वाली रिपोर्ट सहित विदेशी पूछताछ या सत्यापन की रिपोर्ट;

(घ) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, नियमों और विनियमों या किसी अन्य कानून के तहत किए गए खुलासे की प्रासंगिकता हो सकती है;

(ङ) माल के निर्माण या संयोजन के संबंध में लागत;

(च) संदर्भ देने वाले व्यक्ति से अतिरिक्त जानकारी; तथा

(छ) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त विश्वसनीय जानकारी।

(2) मूल्यांकन समिति की तर्कसंगत रिपोर्ट को इसकी विस्तृत जांच-परख के लिये, लिये जाने की तारीख से अधिकतम 30 दिन के भीतर दर्ज कर ली जाएगी और इस पर मूल्यांकन समिति के प्रत्येक सदस्य के हस्ताक्षर भी होंगे।

बशर्ते, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिनके तहत मूल्यांकन समिति को उक्त अवधि में अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से बाधित किया गया है, जांच समिति के संयोजक, ऐसे कारणों को लिखित रूप से दर्ज करके उक्त अवधि को अधिकतम 30 दिन तक बढ़ा सकते हैं।

(3) जहां उक्त तर्कपूर्ण और विस्तृत जांच रिपोर्ट नीचे उप-नियम (4) में दी गयी स्थिति से अन्यथा होती है वहाँ मूल्यांकन समिति ऐसे संदर्भ को पूरा होने की बात को रिकॉर्ड में दर्ज करेगी और और यह मान लिया जाएगा कि दाखिल किए जाने के लिये रिपोर्ट जांच समिति के पास स्थानांतरित हो गयी है।

(4) जहां मूल्यांकन समिति की तर्कसंगत और विस्तृत जांच रिपोर्ट में इस संभावना की अभिपुष्टि हो जाती है कि माल की संबंधित श्रेणी या उसके उप श्रेणी का मूल्य सत्य या सटीक रूप से घोषित नहीं किया जा सकता है, वहाँ रिपोर्ट में यह भी निर्दिष्ट किया जाएगा –

(क) आयातित माल की श्रेणी या उसके उप श्रेणी का पूरा विवरण साथ ही साथ उसका 8 अंकों वाला एचएस कोड;

(ख) ब्रांड, यदि कोई हो, जो उक्त संभावना के संबंध में देखा गया है;

(ग) नीचे (घ) और (ङ) के संदर्भ में व्यक्त किया गया एहतियाती इकाई मूल्य, जिसका उपयोग सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली द्वारा वहाँ किया जायेगा जहां आयातक को अतिरिक्त दायित्व पूरे करने होंगे और वहाँ अतिरिक्त नियंत्रण स्थापित करना होगा जहां घोषित मूल्य उक्त ऐतिहाती इकाई मूल्य से कम लगता हो;

(घ) विशेष अदद्वितीय मात्रा कोड (UQC) जो आयातक द्वारा बिल ऑफ एंट्री में मूल्य घोषित करने के लिए आवश्यक रूप से उपयोग किया जाना होगा;

(ङ) प्रविष्टि के बिल में घोषित किए जाने के लिए आवश्यक माल के मूल्य से संबंधित तकनीकी या अन्य विनिर्देश जैसे मेक, मॉडल, ब्रांड, ग्रेड, आकार, गुणवत्ता, संरचना (सामग्री का प्रतिशत) और निर्धारित विशिष्ट मात्रा में घोषित विशेष अदद्वितीय मात्रा कोड;

(च) घोषित मूल्य की सत्यता और सटीकता को प्रदर्शित करने के लिए आयातक के अन्य अतिरिक्त दायित्व;

स्पष्टीकरण: उप-वाक्य (च) के प्रयोजन के लिए, मूल्यांकन समिति, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने के बाद, अपनी रिपोर्ट में आयातक के अन्य अतिरिक्त दायित्वों को निर्दिष्ट करेगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्माता की चालान, निर्माता की परीक्षण रिपोर्ट, विशेषज्ञ प्रमाणन मूल देश में जारी, निर्माता से निर्माण प्रक्रिया, निर्माण या माल की असेंबली, खरीद आदेश या अनुबंध के संबंध में लागत शामिल हो सकते हैं।

(छ) आयातित माल के संबंध में की जाने वाली जांच, जिसमें परिस्थितियां और उनका उपयोग करने का तरीका भी शामिल है; तथा

(ज) अवधि, जो कि उक्त अतिरिक्त दायित्वों और अतिरिक्त जांच के लिये निर्धारित हो, पहली बार में न तो 1 वर्ष से कम और और न ही 2 वर्ष से अधिक हो।

(5) उप-नियम (4) में संदर्भित रिपोर्ट में आयात की उस प्रकृति का भी उल्लेख होगा जिसके कारण उस नियम 13 के उप-नियम (ञ) के तहत इस नियम को लागू नहीं करने पर विचार किया जा सकता है।

(6) उप-नियम (4) में संदर्भित रिपोर्ट के पहलू ऐसे होंगे जिन्हें सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली का उपयोग करके कार्यान्वित किया जा सकता हो।

9. जांच समिति के द्वारा रिपोर्ट की पुष्टि किया जाना और बोर्ड को सिफारिश करना - (1) नियम 8 के उप-नियम (4) के अंतर्गत संदर्भित मूल्यांकन समिति की विस्तृत रिपोर्ट तैयार हो जाने पर अभिपुष्टि हेतु जांच समिति के पास हस्तांतरित हो जाएगी।

(2) जांच समिति इस बात की पुष्टि करेगी कि मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट इन नियमों के अनुसार पूरी है और इस प्रयोजन के लिए उसमें यदि कोई कमी है तो उसे दूर करेगी।

(3) जांच समिति बोर्ड को इस बात की सिफ़ारिश करेगी की नियम 8 के उप-नियम (4) में संदर्भित रिपोर्ट, या उप-नियम (2) में संदर्भित संशोधित रिपोर्ट, जैसा भी मामला हो, की इन नियमों की शर्तों के अनुसार पूर्ण होने की अभिपुष्टि हो गयी है।

(4) उक्त सिफारिश, उपरोक्त उप-नियम (3) में संदर्भित रिपोर्ट के साथ-साथ, मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट के पन्द्रह दिनों के अंदर-अंदर कर दी जानी होगी।

10. जांच समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाना.- (1) नियम 9 के उप-नियम (4) के अधीन जांच समिति द्वारा की गई सिफारिश पर बोर्ड विचार करेगा और यदि संतुष्ट हो कि सिफारिश की गई रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, तो वह नियम 5 के अंतर्गत यथोचित आदेश कर सकता है जिसमे निम्नलिखित बातें स्पष्ट की जानी होंगी –

(क) 8 अंकों वाला एचएस कोड के साथ अभिज्ञात माल का पूरा विवरण;

(ख) विशेष अद्वितीय मात्रा कोड जो आयातक को बिल ऑफ एंट्री में मूल्य को घोषित करते समय आवश्यक रूप से उपयोग करना होगा;

(ग) बिल आफ इंट्री में घोषित किए जाने के लिए आवश्यक तकनीकी और अन्य विशेषताएँ;

(घ) आयातक के अन्य दायित्व, यदि कोई हों;

(ङ) आयातित माल के संबंध में प्रयोग की जाने वाली जांच, जिसमें परिस्थितियों और उन्हें प्रयोग करने का तरीका शामिल है; तथा

(ञ) अवधि, पहली बार में न तो 1 वर्ष से कम और न ही 2 वर्ष से अधिक, जिसके लिए उक्त आदेश मान्य होगा।

(2) बोर्ड नियम 12 के उप-नियम (3) के तहत जांच समिति के द्वारा की गई समीक्षा रिपोर्ट पर भी विचार करेगा, और यदि वह कारणों और सिफारिशों से संतुष्ट होता है, तो नियम 5 के तहत पहले अभिज्ञात व निर्दिष्ट माल के संबंध में आदेश जारी करके उसमें यथावश्यक परिवर्तन कर सकेगा।

11. अभिज्ञात माल से संबन्धित प्रक्रिया.- (1) अभिज्ञात माल के आयातक को बिल आफ इंट्री को भरते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट माल का अद्वितीय मात्रा कोड का प्रयोग कराते हुये और नियम 10 के उप-नियम (1) के उप-वाक्य (ग) में विनिर्धिष्ट संदर्भों का प्रयोग कराते हुए उसके मूल्य की घोषणा करनी होगी।

(2) जहां भी सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली के द्वारा अनिवार्य होगा, अभिज्ञात माल के आयातक को विनिर्दिष्ट अतिरिक्त दायित्व भी पूरे करने होंगे और माल का मूल्यांकन और स्वयं माल भी ऐसी विनिर्दिष्ट जांच की शर्तों के अधीन रहेगा जिससे कि आयातक घोषित मूल्य की सत्यतता और उसकी सटीकता को प्रदर्शित कर सकें।

(3) जहां आयातक सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में निर्दिष्ट अतिरिक्त दायित्वों को पहले पूरा नहीं कर पाया हो, वहाँ यथोचित अधिकारी इसके अनुपालन के लिए 10 दिनों का समय प्रदान कर सकेगा।

(4) यथोचित अधिकारी, निर्दिष्ट दायित्वों के अलावा और ऐसे कारणो से जिन्हे लिपिबद्ध किया जाना होगा, घोषित मूल्य की सत्यता और सटीकता की जांच करने के लिए आयातक से और जानकारी और दस्तावेज मांग सकता है।

(5) आयातक के अनुरोध पर, यथोचित अधिकारी माल का अनंतिम रूप से मूल्यांकन और निकासी कर सकता है, बशर्ते कि आयातक उक्त अधिनियम की धारा 18 के अनुसार यथोचित प्रत्याभूति जमा कर दे।

(6) जहां, अपेक्षित जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने और निर्दिष्ट दायित्वों को पूरा करने या निर्दिष्ट जांच के पूरा होने पर यथोचित अधिकारी घोषित मूल्य की सत्यता और सटीकता से संतुष्ट है, वहाँ वह इन नियमों के प्रयोजन के लिए घोषित मूल्य को स्वीकार कर सकेगा।

(7) जहां आयातक निर्धारित समय में अपेक्षित जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है या अन्य दायित्वों को पूरा नहीं करता है, या जहां आयातक से प्राप्त जानकारी और दस्तावेजों के आधार पर या अन्य जांचों के परिणामों के आधार पर यथोचित अधिकारी को अभिज्ञात माल के संबंध में घोषित मूल्य की सच्चाई या सटीकता के बारे में अभी भी युक्तिसंगत

संदेह है, वहाँ आगे की कार्यवाही सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) नियम, 2007 के नियम 12 के अनुसार होगी।

12. समीक्षा.- (1) जांच समिति, नियम 5 के तहत जारी आदेश की वैधता की आधी अवधि समाप्त होने पर, यह निर्धारित करने के लिए मध्यावधि समीक्षा शुरू करेगी कि क्या अभिज्ञात माल को वैधता अवधि की समाप्ति से पहले वि-निर्दिष्ट किया जा सकता है या नहीं, या वैधता अवधि को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

(2) उप-नियम (1) के तहत मध्यावधि समीक्षा के अलावा, जांच समिति मध्यावधि से पहले या जब भी जरूरत हो, समीक्षा कर सकती है।

(3) की गई समीक्षा के आधार पर, जांच समिति अभिज्ञात की गई वस्तुओं से संबंधित आदेश को वापस लेने, या आगे बढ़ाने, या नियम 5 के अनुसार अभिज्ञात की गयी वस्तुओं को आदेशित कराते समय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए गए किसी भी पैरामीटर को बदलने या हटाने के लिए, बोर्ड को रिपोर्ट में तर्कपूर्ण सिफारिश करेगी।

(4) उक्त रिपोर्ट आदेश की वैधता अवधि की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पहले बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

13. अपवाद.- ये नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे –

(क) ऐसा आयात जिसमें शुल्क न लगा हो;

(ख) माल जिसके लिए इस अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (2) के संदर्भ में बोर्ड द्वारा टैरिफ मूल्य निर्धारित किया गया है;

(ग) माल जिसपर विशिष्ट दर के आधार पर शुल्क लगाया जाता हो;

(घ) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की शुल्क छूट योजना के तहत जारी प्राधिकरण या लाइसेंस के संदर्भ में किए गए आयात जिसमें निर्यात से पहले आयातित इनपुट निर्यात उत्पाद में भौतिक रूप से निहित हैं;

(ङ) आयात जिसमें खरीदार और विक्रेता दोनों एक दूसरे से सम्बंधित है और ऐसे संबंध पर पहले ही कोई जांच शुरू की गई है या वह पूरी हो गयी है।

(च) परियोजना आयात;

(छ) सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के द्वारा किया जानेवाला आयात;

(ज) गैर-वाणिज्यिक मात्रा में किया गया आयात;

(झ) नः निर्यात के प्रयोजन के लिए आयातित माल; या

(ञ) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट आयात।

14. शिथिल करने की शक्ति.- जहां जांच समिति यह सूचित करती है कि वह निर्दिष्ट समयावधि के भीतर अपने कर्तव्यों का उसके नियंत्रण से परे कारणों से पालन करने में असमर्थ है, भले ही वह नियमित रूप से मिले हों और कुशल आचरण के लिए आवश्यक हों और अपने कार्यों का समय पर निर्वहन करने के लिए जरूरी हों, वहाँ बोर्ड ऐसे मामले पर विचार करने के बाद कर्तव्यों के अनुपालन के लिए अधिकतम तीस दिन की और अवधि दे सकता है।

15. डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग.- नियम 6, नियम 7, नियम 8, नियम 9 और नियम 12 में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं को मूल्यांकन महानिदेशालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित एक इलेक्ट्रॉनिक एप्लिकेशन पर इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकने वाली तारीख से प्रभावी किया जायेगा।

[फा. सं. 466/32/2022-Cus V]

हरीश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2023

No. 03/2023-Customs (N.T.)

G.S.R. 19(E).—In exercise of the powers conferred by section 156 read with section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Customs (Assistance in Value Declaration of Identified Imported Goods) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on 11^{th} day of February, 2023.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(b) "Additional Director General" shall include "Principal Additional Director General";

(c) "Chief Commissioner" shall include "Principal Chief Commissioner";

(d) "class of imported goods" means imported goods that are within a group or range of imported goods produced by a particular industry or industrial sector and includes identical goods or similar goods;

(e) "Commissioner" shall include "Principal Commissioner";

(f) "Director General" shall include "Principal Director General";

(g) "Evaluation Committee" means the Committee constituted under rule 4;

(h) "identified goods" means any class of imported goods, or a subset thereof, which have been specified by the Board under rule 5;

(i) "Order" means an order issued under rule 5; and

(j) "Screening Committee" means the Committee constituted under rule 3.

(2) The words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act or in the Customs Valuation (Determination of Value of Imported Goods) Rules, 2007, shall have the same meanings as assigned therein to them.

3. Constitution of the Screening Committee.- (1) There shall be a Screening Committee of the following members namely:-

(a) Director General of Valuation who shall also be the Convenor of the Committee;

(b) Director General of Revenue Intelligence;

(c) Director General of Analytics and Risk Management; and

(d) Conveners of National Assessment Centre constituted by the Board, if any, pertaining to the class of goods under consideration.

(2) The Directorate General of Valuation shall be the Secretariat of the Screening Committee.

(3) The Screening Committee shall hold its meetings regularly and as and when necessary for efficient conduct and timely discharge of its functions under these rules.

4. Constitution of the Evaluation Committee.—(1) There shall be an Evaluation Committee of the following members namely:-

(a) Additional Director General of Valuation who shall also be the Convenor of the Committee;

(b) Additional Director General (Headquarters) of Directorate General of Revenue Intelligence;

(c) Additional Director General (National Customs Targeting Centre – Cargo) of Directorate General of Analytics and Risk Management; and

(d) Members of Working Group on Valuation and related issues of the National Assessment Centre constituted by the Board, if any, pertaining to the class of goods under consideration.

(2) The Directorate General of Valuation shall be the Secretariat of the Evaluation Committee.

(3) The Evaluation Committee shall hold its meetings regularly and as and when necessary for efficient conduct and timely discharge of its functions under these rules.

5. Procedure for Specification of identified goods.—For the purposes of clause (iv) of the second proviso to sub-section (1) of section 14 of the Act, where in respect of any class of imported goods or a subset thereof, the Board, having regard to the trend of the declared value of such goods or any other relevant criteria, has reason to believe that such goods may not be declared at their truthful or accurate value but below it, the Board may, by an Order, specify such goods as identified goods in accordance with rule 10.

6. Sources for examining cases for identified goods.—(1) For the purpose of rule 5, the Board shall rely upon a written reference made to it electronically by any person having reason to believe that the value of any class of imported goods or a subset thereof may not be declared truthfully or accurately:

Provided that the reference may also be made by an officer of Customs, namely a Commissioner or Additional Director General, or a person representing any other Government Department.

(2) The written reference referred to in sub-rule (1) shall be accompanied with -

(a) disclosure of name, full address, mobile number, email and other contact details of the person, along with proof of identity and proof of address:

Provided that proof of identity and proof of address shall not be required where the person making the reference represents a Government Department;

(b) complete description and the 8-digit HS Code of the imported goods, including, where appropriate, aspects such as technical literature, specifications, composition, quality, brand and model, along with the country of origin or ports of despatch;

(c) the manner in which or method by which value for such goods is declared below their truthful or accurate value by importers;

(d) information with attached documentary evidence, data and analysis bringing out the basis put forth in support of the claim made in the written reference;

(e) an approximate quantification of the extent of undervaluation;

(f) other sources of reliable information, if any, that may be considered while examining the reference; and

(g) suggestions, if any, of additional obligations and checks that may be considered while examining the reference.

(3) The written reference received under this rule shall be forwarded electronically by the Board for examination to the Screening Committee.

7. Preliminary examination by Screening Committee.—(1) The Screening Committee shall make a preliminary examination of the written reference forwarded by the Board under sub-rule (3) of rule 6, in order to decide whether it, or part thereof, is a case to be taken up for detailed examination.

(2) For the purposes of preliminary examination, the contents and accompanying information with the written reference shall be scrutinized and material aspects taken into account along with the relevant trends of declared values or any other relevant criteria.

(3) The preliminary examination and recording of preliminary findings, of the Screening Committee shall be signed by each member of the Screening Committee and shall be completed preferably within fifteen days, but no later than twenty-one days from the date of forwarding of written reference by the Board.

(4) Where on the basis of preliminary findings, the written reference has been found suitable for detailed examination, the reference, or part thereof, as the case may be, shall be deemed to have been taken up for detailed examination on the date the preliminary findings were recorded.

(5) Where on the basis of preliminary findings recorded by the Screening Committee the written reference is not found suitable for detailed examination, the Screening Committee shall record the reasons thereof and close the said reference.

8. Detailed examination by Evaluation Committee.- (1) The written reference or part thereof, found suitable for detailed examination in terms of sub-rule (4) of rule 7 shall be comprehensively examined by the Evaluation Committee to assess the likelihood, based on the preponderance of probabilities, whether the value of the relevant class of goods or a subset thereof may not be declared truthfully or accurately and for this purpose, the Evaluation Committee may undertake data analysis and take into account the following additional information such as –

(a) trend in international prices from relevant sources keeping in view quality and nature of goods;

(b) information received through stakeholder consultation or disclosures;

(c) reports or certificates of experts; academic papers; research papers; published reports; open-source intelligence; reports originating from source country or despatch ports, including reports of overseas enquiry or verification;

(d) disclosures made under applicable provisions of the Act, rules and regulations made thereunder or under any other law that may have relevance for the time being in force;

(e) costing in relation to manufacturing or assembly of the goods;

(f) additional information from the person who made the reference; and

(g) reliable information from any other source.

(2) The reasoned report of the Evaluation Committee shall be recorded, with each member of the Evaluation Committee signing the report, in not more than thirty days of being taken up for detailed examination.

Provided that, having regard to the circumstances under which the Evaluation Committee may have been prevented from recording its report within specified period, the Convenor of the Screening Committee may, for the reasons recorded in writing, extend the said period for a further period of not more than thirty days.

(3) Where the said reasoned and detailed examination report concludes otherwise than as specified in sub-rule (4), the Evaluation Committee shall also record closure of the reference and the report shall stand transferred to the Screening Committee for filing.

(4) Where the reasoned and detailed examination report of the Evaluation Committee concludes the likelihood that the value of the relevant class of goods or a subset thereof may not be declared truthfully or accurately, the report shall specify, –

(a) complete description of the class of imported goods, or a subset thereof, with 8-digit HS Code;

(b) the brands, if any, which have been noticed in connection with the said likelihood;

(c) the precautionary unit value expressed in terms of items (d) and (e) which may be used by the Customs Automated System to require the fulfilment of additional obligations by the importer and the checks to be exercised, where the declared value is less than the precautionary unit value;

(d) the particular Unique Quantity Code which shall be necessarily used by the importer to declare the value in the bill of entry;

(e) the technical or other specifications related to the value of the goods necessary to be declared in the bill of entry such as make, model, brand, grade, size, quality, composition (percentage of ingredients) and quantity declared in the specified Unique Quantity Code;

(f) other additional obligations of the importer for demonstrating the truthfulness and accuracy of the declared value;

Explanation: For the purposes of clause (f), the Evaluation Committee, after examining the facts and circumstances of the case, shall specify in its report other additional obligations of the importer which may include *inter alia* furnishing manufacturer invoice, manufacturer test report, expert certification issued in the country of origin, manufacturing process from the manufacturer, costing in relation to manufacture or assembly of goods, purchase order or contract;

(g) the checks to be exercised with respect to the imported goods, including the circumstances and manner of exercising them; and

(h) the duration, not below one year and not exceeding two years in the first instance, for which the said additional obligations and the additional checks shall be applied.

(5) The report referred at sub-rule (4) shall include the nature of imports to which these rules may be considered for not being applied in terms of clause (j) of rule 13.

(6) The aspects in the report referred at sub-rule (4) shall be such as are amenable to implementation using the Customs Automated System.

9. Screening Committee to confirm report and recommend to the Board. - (1) The detailed report of the Evaluation Committee, referred at sub-rule (4) of rule 8, shall stand transferred to the Screening Committee for confirmation.

(2) The Screening Committee shall confirm that the report of the Evaluation Committee is complete in terms of these rules and for this purpose shall rectify deficiencies, if any, therein.

(3) The Screening Committee shall recommend to the Board upon the report referred at sub-rule (4) of rule 8 or the rectified report referred at sub-rule (2), as the case may be, as having been confirmed to be complete in terms of these rules.

(4) The recommendation of the Screening Committee along with the report referred at sub-rule (3) above, shall be made within fifteen days of the report of the Evaluation Committee.

10. Board to consider the recommendation of Screening Committee.- (1) The Board shall consider the recommendation made by the Screening Committee under sub-rule (4) of rule 9, and if satisfied that the recommended report should be accepted, it may issue Order under rule 5 specifying therein-

(a) complete description of the identified goods with 8-digit HS Code;

(b) the particular Unique Quantity Code which shall be necessarily used by the importer to declare the value in the bill of entry;

(c) the technical or other specifications necessary to be declared in the bill of entry;

(d) other obligations of the importer, if any;

(e) the checks to be exercised with respect to the imported goods, including the circumstances and manner of exercising them; and

(f) the duration, not below one year and not exceeding two years in the first instance, for which the said Order shall be valid.

(2) The Board shall also consider the review report made by the Screening Committee under sub-rule (3) of rule 12, and if satisfied with the reasons and recommendations made therein, shall make the appropriate changes by issuing an Order under rule 5 with respect to the previously specified identified goods.

11. Procedure in respect of identified goods.- (1) An importer of identified goods shall be required to declare *inter alia* the value of goods using the Unique Quantity Code specified in the Order and the aspect specified at clause (c) of sub-rule (1) of rule 10 at the time of filing bill of entry.

(2) Where required by the Customs Automated System, the importer of identified goods shall also fulfill the specified additional obligations, and the assessment of goods or the goods themselves shall be subjected to specified checks so as to enable and assist the importer to demonstrate the truthfulness and accuracy of the declared value.

(3) Where the importer has not already fulfilled the specified additional obligations on the Customs Automated System, the proper officer shall provide a time period of ten days for fulfilling such obligations.

(4) The proper officer may, in addition to the specified obligations and for reasons to be recorded in writing, ask for further information and documents from the importer to examine the truthfulness and accuracy of the declared value.

(5) On the request of the importer, the proper officer may provisionally assess and clear the goods, subject to importer furnishing appropriate security in terms of section 18 of the Act.

(6) Where, upon production of requisite information or documents and fulfilment of specified obligations or exercise of specified checks, the proper officer is satisfied with the truthfulness and accuracy of the declared value, he shall accept the declared value for the purpose of these rules.

(7) Where the importer does not provide requisite information and documents or does not fulfil other obligations in the time specified under these rules, or where on the basis of the information and documents received from the importer or results of other checks exercised, the proper officer still has reasonable doubt about the truth or accuracy of the value declared in relation to the identified goods, the further proceedings shall be taken in accordance with rule 12 of the Customs Valuation (Determination of Value of Imported Goods) Rules, 2007.

12. Review.- (1) The Screening Committee shall, on the expiry of half of the validity period of the Order issued under rule 5, initiate a mid-term review to assess whether the identified goods may be de-specified either before the expiry of the validity period or not, or the validity period needs to be extended.

(2) Apart from the mid-term review under sub-rule (1), the Screening Committee may conduct a review before mid-term, or as and when needed.

(3) Based on the review conducted, the Screening Committee shall make a reasoned report with recommendations to the Board to withdraw or extend the Order issued under rule 5 related to the identified goods or to alter or delete any of the parameters specified by the Board while specifying the identified goods in accordance with rule 5.

(4) The said report shall be made to the Board at least thirty days prior to the expiry of validity period of the Order.

13. Exceptions.- These rules shall not be applied to, –

(a) imports not involving duty;

(b) goods for which tariff value has been fixed by the Board in terms of sub-section (2) of section 14 of the Act;

(c) goods which attract import duty on specific rate basis;

(d) imports made in terms of authorization or license issued under duty exemption scheme of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) in which the inputs imported prior to export are physically contained in the export product;

(e) imports where buyer and seller are related and an investigation on relationship has already been contemplated or finalized;

(f) Project imports;

(g) imports by Government, Public Sector Undertakings;

(h) imports made in non-commercial quantities;

(i) goods imported for the purpose of re-export; or

(j) imports specified by the Board.

14. Power to relax.- Where the Screening Committee informs that it is unable to comply with its duties within the time period as specified under these rules, for reasons beyond its control, even while it has met regularly and as and when necessary for efficient conduct and timely discharge of its functions, the Board may after considering the case allow for compliance within a further time period not exceeding thirty days.

15. Digital Record Keeping.- With effect from such date as may be specified by the Board in this behalf, the processes specified in rule 6, rule 7, rule 8, rule 9 and rule 12 shall be enabled and processed on an electronic application, set up and maintained by the Directorate General of Valuation.

[F. No. 466/32/2022-Cus V]

HARISH KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2023.01.11 19:55:28 +05'30'